RJPP, Vol. XX, Special Issue, Dec.22, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 8.734

भारत छोड़ो आन्दोलन में सरदार पटेल की भूमिका

डॉ० संगीता सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
शिक्षाशास्त्र विभाग
एस०एन० सेन बा०वि० पी०जी० कॉलेज, कानपुर
ईमेलः

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ० संगीता सिंह

भारत छोड़ो आन्दोलन में सरदार पटेल की भूमिका

RJPP Dec.22,
Vol. XX, Special Issue

pp.79-85
Article No. 13

Online available at *:*
https://anubooks.com/journal/rjpp

DOI:
http://doi.org/10.31995/rjpp.2022v20iS.13

डॉ० संगीता सिंह

भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का विशिष्ट स्थान है। यह परतंत्र भारत का अन्तिम बड़ा आन्दोलन है। इसी से भारत की आजादी की वास्तविक पटकथा लिखी गयी। आजादी के दीवानों ने भारत छोड़ो आन्दोलन ऐसी परिस्थिति में शुरू किया, जब ब्रिटिश हुकूमत द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी थी। यह सही है कि यदि हमारा विपक्षी किसी गम्भीर समस्या में हो तो हमें उस परिस्थिति में अपने स्वार्थ की रोटी नहीं सेंकनी चाहिए, परन्तु ब्रिटिश हुकूमत अपनी समस्या में भी गन्दी चाल चलने से बाज नहीं आ रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के देशी रियासतों के राजाओं और मुस्लिम लीग के नेताओं को अपनी ओर करने के लिए अनेक सुविधाएं दी। इसके विपरीत कांग्रेस एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने सरकार के समक्ष भारत की आजादी के शर्तों पर विश्व युद्ध में सहायता करने का वादा किया, किन्तु ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस के नेताओं से बिना शर्त विश्व युद्ध में समर्थन करने के लिए कहा। यह कई स्वतंत्रता सेनानियों को अनुचित प्रतीत हुआ। इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध में भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बिना शर्त ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया था। महात्मा गांधी जैसे उच्च स्तर के नेताओं ने भारतीय नागरिकों को सेना में भर्ती होने की सलाह दी और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति समर्पण का भाव प्रदर्शित किया, जिससे महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार का एजेण्ट भी कहा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी महात्मा गांधी आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के संकट के दौर में हमें उससे किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए, परन्तु सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद आदि नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत से शर्तों के आधार पर ही समर्थन की बात की। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन करना है अथवा नहीं। इस पर निर्णय लेने में कांग्रेस के नेताओं को तीन वर्ष व्यतीत हो गये अर्थात् 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध 1942 तक आ गया था और ब्रिटिश हुकूमत भारत के देशी राज्यों एवं मुस्लिम लीग को अपनी ओर करके अपनी रणनीति में सफल होती दिख रही थी। इसी बीच कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक इलाहाबाद में हुयी, जिसमें यह शंका जाहिर की गयी कि यदि विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की जीत होती है तो वे भारत को गुलाम बनाए रखेंगे और इसके विपरीत यदि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की हार होती है तो विजयी देश भारत पर कुदृष्टि डाल सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरदार पटेल के दो वर्ष पूर्व दिए गए विचार को मानने के लिए सभी नेताओं को बाध्य होना पड़ा। सरदार पटेल का कहना था कि भारत को स्वतंत्रता अपनी शक्ति से प्राप्त करना होगा और स्वतंत्रता की रक्षा भी अपनी ही शक्ति से करनी होगी। अन्यथा आज ब्रिटिश हुकूमत है तो कल रूस या जापानी हुकूमत भारत को गुलाम बना सकती है। इसी कारण सरदार पटेल का स्पष्ट कहना था कि यदि ब्रिटिश हुकूमत भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की शर्त को स्वीकार करे तभी विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड का समर्थन होगा अन्यथा हम भारतवासी विश्व युद्ध में तटस्थ रहेंगे। इसी मध्य कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक वर्धा में हुयी। यह बैठक आठ दिन तक चली। ब्रिटिश हुकूमत के रूख को देखते हुए 18 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने 07 अगस्त 1942 को बम्बई में बैठक और 08 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू करने की घोषणा की।

कांग्रेस के भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रस्ताव को भारत ही नहीं विश्व स्तर पर सराहना हुयी। ब्रिटिश हुकूमत के विरोधी देशों के समाचार पत्रों में विश्व स्तरीय क्रान्ति की उपमा दी जाने लगी।

भारत छोड़ो आन्दोलन में समस्त नागरिकों की सहभागिता हो इसके लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद जैसे आदि नेताओं ने आन्दोलन की कार्ययोजना साधारण जनता को समझाया, क्योंकि इसका सभी को अनुमान था कि 'भारत छोड़ो आन्दोलन' शुरू होने से पहले ही राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रणी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 26 जुलाई 1942 ई0 को अहमदाबाद में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा–''कार्यकर्ताओं को यदि बन्दी बना ले तो प्रत्येक भारतीय स्वयं को कांग्रेसी कार्यकर्ता समझे और उसी तरह अपना कर्त्तव्य पूरा करें तथा मांग होते ही लड़ने को तत्पर हो जाए, तो स्वाधीनता स्वयं हमारा दरवाजा खटखटाने लगेगी।''[1]

हम जानते हैं कि सरदार पटेल को 1933 से ही आंतों के रोग से अत्यन्त पीड़ा हो रही थी। उनका यह रोग धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ नाक में भी दिक्कत हो गयी। इस कारण सरदार पटेल शारीरिक दृष्टि से अत्यन्त व्यथित थे, परन्तु उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां सरदार पटेल की सभा न आयोजित की गयी हो। गुजरात में तो प्रत्येक जनपद एवं तहसील स्तर पर बैठक करके साधारण जनता को जागरूक किया। सरदार पटेल छोटी–छोटी बैठक करके सामान्य जनता को प्रशिक्षित कराने में दिन–रात परिश्रम कर रहे थे वे लोगों को समझाते कि ऐसे आन्दोलन के प्रति सरकार का रूख अत्यन्त कठोर है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को आन्दोलन का नेतृत्व करना होगा। इस बार प्राणों की बाजी लगाकर देश की आजादी के लिए संघर्ष करना होगा। सरदार पटेल लोगों को समझाते थे कि हमें गुलामी में सड़ते रहने के बजाय स्वतंत्रता सेनानी बनकर क्यों न मर जाय? इस तरह के अनेक वक्तव्यों से भारत की जनता पूरे उत्साह में आ गयी। जैसे–जैसे 7 अगस्त की तिथि आती गयी साधारण जनता की तैयारी पूरी होती गयी। वे अब अपने नेताओं की अंतिम घोषणा पर दृष्टि लगाए थे जो बम्बई की बैठक में होना सुनिश्चित था।

7–8 अगस्त 1942 में बम्बई में कांग्रेस की बैठक में सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आन्दोलन से सम्बन्धित अनेक बिन्दुओं पर स्पष्ट विचार रखे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत हमारे स्वतंत्रता की शर्त को स्वीकार नहीं कर रही है, वह सिर्फ इतना कह रही है कि विश्व युद्ध के पश्चात् विचार किया जाएगा। ऐसी अविश्वसनीय सरकार पर कैसे विश्वास किया जाय जो प्रथम विश्व युद्ध में धोखा दे चुकी है। इसके बावजूद यदि विश्व युद्ध में ब्रिटेन हार जाता है तो हमें विश्व युद्ध के विजेता देश का गुलाम होना पड़ेगा। तब हमारी सहायता न चर्चिल करेंगे और न ही ब्रिटिश हुकूमत के उच्च अधिकारीगण। सरदार पटेल का स्पष्ट कहना था कि आज जब ब्रिटिश हुकूमत संकट में है तो आपको आजाद करने की बात स्वीकार नहीं कर रही है, जब मजबूत होगी तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, शायद इससे भी अधिक अत्याचार ही सहन करना पड़े। जैसा कि हम जानते हैं कि सरदार पटेल का कार्य एवं विचार सदैव स्पष्ट रहता था। उन्होंने कहा कि जैसे रूस और चीन के नागरिक अपनी आजादी के लिए कुर्बान हो रहे हैं, उसी प्रकार हमें जन–धन के हानि की चिन्ता छोड़नी होगी। चूंकि भारत छोड़ो आन्दोलन की यह लड़ाई अंतिम लड़ाई मानकर लड़ा जा रहा है। इस कारण किसी प्रकार से कोई गलती को मौका नहीं मिलना चाहिए। सरदार पटेल को यह अनुमान था कि कांग्रेस के अग्रणी नेताओं को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे साधारण जनता में सरकार अफवाहों

को फैलाकर आन्दोलन कमजोर कर सकती है। इस कारण प्रत्येक नागरिक को सरकार की रणनीति पर सदैव नजर रखनी होगी। बम्बई की इस सभा में सरदार पटेल ने कहा कि यदि हम यह सोचकर आन्दोलन कर रहे हैं कि हमारा उद्योग धन्धा सलामत रहे, हमारा घर परिवार ठीक रहेगा। हम जेल जाएगें, भोजन खाएगें और पुस्तक पढ़ेंगे तो यह भारत छोड़ो आन्दोलन को न शुरू किया जाय। इसके विपरीत यदि हम इस संकल्प में हैं कि आजादी के लिए मरने का मौका है, मर जाएगें, फना हो जाएगें तो आन्दोलन को प्रारम्भ किया जाय। सरदार पटेल ने कहा कि यह मानकर चलना होगा कि भारत छोड़ो आन्दोलन से जो कुछ मिलेगा वह देश को मिलेगा, हमें व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि सरदार पटेल का सदैव मानना था कि किसी भी प्रकार के निजी स्वार्थ भाव से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता है। इसी कारण सरदार पटेल अंग्रेजों को स्पष्ट चुनौती देते थे कि अंग्रेजों भारत की सत्ता किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को सौंप दो, सिर्फ वह भारतीय हो। इससे किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परन्तु अंग्रेजों तुम लोग भारत को छोड़कर इंग्लैण्ड जाओ। कुछ अंग्रेज यह दावा करते थे कि हमने भारत में शान्ति स्थापित किया। इसके प्रति उत्तर में सरदार पटेल का कहना था कि तुमने हमारे देश को कब्रिस्तान बना दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति की जुबान बन्द हो गयी है तो तुम्हें सिर्फ शान्ति ही शान्ति दिखायी दे रही है।

सरदार पटेल के विचारों को बम्बई के महासम्मेलन में गांधी जी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू सहित समस्त नेताओं ने समर्थन किया। कांग्रेस के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रस्ताव को गांधी जी वायसराय को जब तक अवगत कराते तब तक बम्बई के सभी टेलीफोन के तार काट दिये गये। यही नहीं 9 अगस्त को प्रातः 4 बजे महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल समेत 14 कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुछ कहने का कोई अवसर नहीं दिया गया। बन्दी बनाए जाते समय गांधी जी एवं सरदार पटेल ने देशवासियों से कहा कि यह आन्दोलन हमारे लिए 'करो या मरो' है। चूंकि भारत छोड़ो आन्दोलन की औपचारिक घोषणा नहीं हो पायी थी। इस कारण देश की जनता स्तब्ध हो गयी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाय। चूंकि गांधी जी ने जेल जाते समय 'करो या मरो' का उद्‌बोधन कर दिया था। इस कारण साधारण जनता आन्दोलन करने पर उतर आयी। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट आफिस आदि सरकारी कार्यालय को अपने कब्जे में कर लिया। इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार आन्दोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी प्रकार की सभा एवं कार्यक्रम पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी। देश के कई शहरों में आन्दोलनकारियों को गोली से मार दिया गया। केवल दिल्ली में पुलिस द्वारा दो दिन के अन्दर 47 बार गोलीबारी की गयी। इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप न जाने कितने परिवारों में दीपक जलाने वाला कोई एक व्यक्ति भी नहीं बचा और न जाने कितने व्यक्ति घायल हो गए। भारतीय नारियों की इज्जत आबरू पर हाथ डालने का प्रयास किया गया। जैसा कि भारत छोड़ो आन्दोलन के विषय में श्याम बिहारी राय ने लिखा है–''पुलिस और सेना की गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में भारी–भारी रकमें देनी पड़ी और गांव वालों पर सामूहिक रूप से कोड़े बरसाए गए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में इतना निर्मम मन कभी देखने को नहीं मिला था।''[2] भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान कई अखबार बन्द कर दिए

गए। इससे महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी। खासकर वे अखबार बन्द कराए गए जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में एक भी वाक्य लिखने का प्रयास किया। जैसा कि प्रो0 विपिन चन्द्र ने लिखा है–''सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया। बहुत से अखबार कुछ दिन के लिए बन्द रहे। 'नेशनल हेराल्ड' और 'हरिजन' तो पूरे आन्दोलन के दौरान नहीं निकले।''[3] इसके परिणामस्वरूप आलसी प्रवृत्ति के लोग या ठंडा खून वाले भी आन्दोलन में शामिल होने लगे। सरदार पटेल को जेल से जब भी मौका मिलता अपने विचार किसी न किसी माध्यम से जनता तक भेज देते। उन्होंने बार–बार जनसमूह को आगाह किया कि अंहिसा जैसी मर्यादा को नहीं छोड़ना है और आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसी की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। आन्दोलन को इतना विस्तार एवं प्रभावी कर दो कि अंग्रेज स्वतः भारत छोड़कर चले जाए। साधारण जनता के मस्तिष्क में जो कुछ सूझता उसी के रास्ते पर चल पड़ते। इससे अंग्रेज अधिकारियों को आन्दोलन का सही स्वरूप समझना आसान नहीं था। जैसे–जैसे सरकार का जुल्म बढ़ता गया वैसे–वैसे आन्दोलन में व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गयी। साधारण व्यक्ति को भी जेल जाने से कोई भय नहीं। कई स्थानों पर सरकार के समानान्तर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाकर उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इसी कारण समस्त विद्वान इस बात से सहमत हैं कि भारत छोड़ो आन्दोलन 1857 की क्रान्ति से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। इसमें स्वदेशी आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, बारदौली सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन आदि के गुणों का समोवश था।

'भारत छोड़ो आन्दोलन' में एक ओर देश की अधिकांश जनता अपना सर्वस्व न्यौछावर पर उतर गयी थी तो दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत के हिंसक होने से हमारे देश में जन–धन की हानि हो रही थी। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना था कि महात्मा गांधी आन्दोलन करके न सिर्फ हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं बल्कि अमेरिका और चीन के दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक विचारणीय विषय है कि कांग्रेस के ऐसे नेता 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आन्दोलन का विरोध नहीं किया था, परन्तु आन्दोलन से होने वाली तत्कालिक हानि को देखकर अपना विचार दे रहे थे। जैसा कि मीना अग्रवाल ने लिखा है–''मौलाना आजाद, डॉ0 मसूद और आसफ अली का मत था कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आन्दोलन का निर्णय लेकर अच्छा नहीं किया। ये नेता समझ रहे थे कि इससे भारत अपने शुभचिंतकों (संयुक्त राज्य अमरीका तथा चीन के चांग काई शेक) की सहानुभूति खो देगा। प्रायः यही मत जवाहरलाल नेहरू तथा गोविन्द बल्लभ पंत का भी था, किन्तु सरदार पटेल आन्दोलन के प्रबल समर्थक थे।''[4] इससे स्पष्ट होता है कि 'भारत छोड़ो आन्दोलन' शुरू करने पर कांग्रेस के अधिकांश नेता गांधी जी के विरोधी हो गए थे, परन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे। यह भारत छोड़ो आन्दोलन में सरदार पटेल की भूमिका को स्पष्ट करता है।

9 अगस्त 1942 को 68 मेरीन ड्राइव से सरदार पटेल को बन्दी बनाए जाने के बाद गुप्त रूप से अहमदनगर के दुर्ग में भेज दिया गया। सरदार पटेल को तीन माह तक किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। उनके लिए पत्र–पत्रिकाओं की भी पाबन्दी थी। सरदार पटेल के साथ ही उनकी पुत्री मणिबेन और जे0बी0 कृपलानी को गिरफ्तार किया गया था। मणिबेन को सरोजनी नायडू के साथ

यरवदा जेल में महिला बंदियों के साथ रखा गया, जहां मणिबेन महिलाओं के साथ मिलकर 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की रणनीति बना रही थी। सरदार पटेल के पुत्र डाह्या भाई पटेल पुलिस से बच निकले। वे छिप–छिपकर गांधी जी और अपने पिता के विचारों की पुस्तिका बनवाकर साधारण जनता में वितरित करते रहे। डाह्या भाई पूरे आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार नहीं हो पाए जिसके परिणामस्वरूप हमेशा भारत छोड़ो आन्दोलन के लोगों को जागरूक करते रहे। यहाँ यह कहने में किंचित मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है कि सरदार पटेल का पूरा परिवार भारत छोड़ो आन्दोलन को सफल बनाने में संलग्न रहा।

अहमदनगर किले के कारावास में बन्द सरदार पटेल की यह अंतिम जेल यात्रा थी। इसमें सरदार पटेल को अत्यधिक पीड़ा हुयी। उनका पुराना रोग अर्थात् आंतों का रोग अत्यधिक कष्ट दिया। उनको असहनीय पीड़ा होती थी और दिनों–दिन शरीर कमजोर हो रहा था। सरदार पटेल न तो खाना खा पाते थे और नही लेट पाते थे, जिससे वे कभी–कभी सिर्फ पानी पीकर बिस्तर पर बैठे रहते थे। जून 1943 में तो सरदार पटेल का वजन 20 पौंड तक घट गया। इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार ने डॉक्टरों को चुप रहने का आदेश दिया। अंग्रेज अधिकारी जानते थे कि सरदार पटेल के स्वास्थ्य खराब की जानकारी जनता तक जाएगी तो पूरा देश क्रान्ति की ज्वाला में होगा। सरदार पटेल के स्वास्थ्य की निरन्तर जांच होती रहे। इसके लिए एक अतिरिक्त फौजी डॉक्टर की नियुक्ति की गयी, परन्तु उसे भी पाबन्दी थी कि जब सरदार पटेल की जिन्दगी का खतरा हो तभी जेल से छोड़ने की सिफारिश की जाय। इधर देश में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की गति बढ़ती जा रही थी। जनता किसी भी परिस्थिति में झुकने को तैयार नहीं थी। इसी समय बंगाल में अकाल पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों की गलत नीति के कारण बंगाल में लोगों के लिए भोज्य सामग्री कम हो गयी। ब्रिटिश हुकूमत देश का अधिकांश अनाज द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के लिए भेजवा देती थी, जिससे कलकत्ता शहर में लोग भूख से मरने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बंगाल की एक तिहाई जनसंख्या भूख के कारण मर गयी। इसके बावजूद हमारे देश में आन्दोलन तीव्र गति से चलता रहा। इससे भारत के बाहर विदेशों में भारतीय जनमानस की तारीफ होने लगी। विश्व स्तर पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने का दबाव बनने लगा। भारतीय जनता के संघर्ष को देखकर ब्रिटिश हुकूमत भी अत्यधिक प्रभावित हुयी। वह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता का पूर्णतः सहयोग की उम्मीद की। जिसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की शर्त पर ही स्वीकार किया। परिणामस्वरूप वाइसराय ने घोषणा की कि भारत का भावी संविधान भारत के लोग ही बनाएगें। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से शुरू हो जाएगा। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वाइसराय ने 25 जून 1945 को शिमला में भारत के अग्रणी नेताओं की एक बैठक बुलायी। इसमें शामिल होने के लिए 15 जून 1945 को सरदार पटेल को जेल से रिहा कर दिया गया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरदार पटेल की 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सशक्त भूमिका रही। उनके और महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद कभी नहीं होता था। जैसा कि कुछ विद्वानों ने माना है कि भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, आसफ अली आदि महात्मा गांधी के पक्ष में नहीं थे। शायद इसी कारण महात्मा गांधी को आन्दोलन के प्रारम्भ से

पूर्व कहना पड़ा कि ''मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दूँगा।''[5] फिलहाल यह सत्य है कि भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए कांग्रेस के अधिकांश नेताओं की जो भी स्थिति रही हो, परन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल सदैव गांधी जी के साथ रहे। सरदार पटेल के साथ उनके पुत्र डाह्‌या भाई पटेल एवं पुत्री मणिबेन पटेल ने भी अंग्रेजी सरकार की तमाम यातनाओं को झेला। सरदार पटेल भारत छोड़ो आन्दोलन से पूर्व पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को आन्दोलन के प्रति जागरूक किया। उन्हें समझाया कि यह भारत के आजादी की अंतिम लड़ाई है जिसमें अब तक किए गए समस्त आन्दोलनों का समावेश रहेगा। माना कि 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के शुरू होने से कुछ घण्टों पूर्व ही सरदार पटेल को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में बन्द कर दिया गया। उन्हें किसी भी व्यक्ति से मिलने की मनाही हो गयी। इसके बावजूद सरदार पटेल द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा–निर्देशों से देश की साधारण जनता ने ऐसी पटकथा लिखी कि अंग्रेज भारत को आजाद करने के लिए मजबूर हो गए।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, मीना. (2019). 'सरदार पटेल', डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा0लि0: नई दिल्ली. पृष्ठ **121.**
2. राय, श्याम बिहारी. (1990). आधुनिक भारत. एन0सी0ई0आर0टी0: नई दिल्ली. पृष्ठ **271.**
3. चन्द्र, प्रो0 बिपिन. (1998). 'भारत का स्वतंत्रता संघर्ष'. हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालयः दिल्ली विश्वविद्यालय. पृष्ठ **369.**
4. अग्रवाल, मीना. (2019). 'सरदार पटेल'. डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा0लि0: नई दिल्ली. पृष्ठ **123.**
5. चन्द्र, प्रो0 बिपिन. (1998). 'भारत का स्वतंत्रता संघर्ष'. हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालयः दिल्ली विश्वविद्यालय. पृष्ठ **367.**